भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 543
23.07.2026 को उत्तर के लिए

वनों का वैज्ञानिक संरक्षण

543. डॉ. अजित माधवराव गोपछड़े :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत का कुल वन-आवरण और वृक्ष-आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है और क्या वर्तमान में वनों की सुरक्षा केन्द्र और राज्य के कानूनों के तहत की जाती है, जिसके कारण पारिस्थितिक रूप से आपस में जुड़े वनों का प्रबंधन बिखरा हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जाने वाले सर्वोत्तम तरीकों की जांच की है, जिसमें कोरिया गणराज्य के वन संरक्षण कानून भी शामिल हैं, जिनमें वन क्षेत्रीकरण, बीमारी और कीटों की निगरानी, आग से बचाव और भूस्खलन से बचाव जैसे पहलू शामिल हैं; और

(ग) क्या सरकार एक समान और वैज्ञानिक संरक्षण ढांचा तैयार करने के लिए मौजूदा वन कानूनों में संशोधन की सिफारिश करने हेतु वानिकी वैज्ञानिकों, पारिस्थितिकी विशेषज्ञों और राज्य के प्रतिनिधियों की एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का विचार रखती है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन है, जो देश के वन एवं वृक्ष आवरण का द्विवार्षिक रूप से आकलन करता है और इसके परिणामों को भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) में प्रकाशित किया जाता है। वनावरण आकलन रिमोट सेंसिंग पर आधारित सम्पूर्ण मानचित्रण की प्रक्रिया है, जिसे गहन भू-सत्यापन तथा राष्ट्रीय वन सूची से प्राप्त क्षेत्रीय आंकड़ों द्वारा समर्थित किया जाता है। नवीनतम आईएसएफआर, 2023 के अनुसार, कुल वन एवं वृक्ष आवरण 8,27,357.95 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है।

वनों का संरक्षण और प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है, क्योंकि वन संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची (सूची III) में शामिल हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रीय नीतियां बनाती है, वन संबंधी कानून पारित करती है और राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जबकि राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और संबंधित राज्य वन अधिनियमों और नियमों के तहत वनों के संरक्षण, संवर्धन और वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है।

(ख) और (ग) वनों के संरक्षण एवं सतत प्रबंधन से संबंधित विधिक, नीतिगत तथा संस्थागत ढाँचों की सरकार द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक विकास, उभरती चुनौतियों और सर्वोत्तम परंपराओं को ध्यान में रखा जाता है। भारत की पारिस्थितिकीय, सामाजिक-आर्थिक तथा विधिक व्यवस्था के अनुरूप नीतियों, कार्यक्रमों, दिशानिर्देशों एवं विधायी प्रावधानों के निर्माण अथवा उनकी समीक्षा के दौरान, जहाँ आवश्यक हो, राज्य सरकारों, वैज्ञानिक संस्थानों तथा अन्य हितधारकों से प्राप्त सुझावों एवं अभिमतों पर भी विचार किया जाता है।

*****